POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.02.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज के साथ बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **09.02.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से चेकिंग के दौरान कूटरचित दस्तावेज के साथ बांग्लादेशी नागरिक-मिलन दीवान पुत्र फौजलू को भगत मार्केट थाना क्षेत्र बिसरख के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्त के सन्दिग्ध प्रतीत होने पर चैक किया गया तो **गिरफ्तार** अभियुक्त के पास से एक मोबाइल व एक कूटरचित आधार कार्ड जिस पर अभियुक्त का नाम पता- मिलन दीवान पुत्र दीवान हिदाद पता नूतन ग्राम मझरपरा वारा छपरा नदिया जिला मुर्शिदाबाद राज्य पश्चिम बंगाल अंकित था, बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपना नाम/पता-मिलन दीवान पुत्र फौजलू निवासी मंशीगंज थाना दौलतपुर जिला कुसरिया बांग्लादेश होना बताया गया। अभियुक्त के द्वारा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए भारत में आकर अपने ससुर (भारतीय निवासी) के पते पर कूटरचित आधार कार्ड तैयार करवाकर भारत में नौकरी के उद्देश्य से निवास करना। अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना के सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 100/2025 धारा 318(4),338,336(3) बीएनएस धारा 3 पासपोर्ट अधिनियम व धारा 14 विदेशी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण--

असली पता-मिलन दीवान पुत्र फौजलू निवासी मंशीगंज थाना दौलतपुर जिला कुसरिया बांग्लादेश।

फर्जी पता-मिलन दीवान पुत्र दीवान हिदाद पता नूतन ग्राम मझरपरा वारा छपरा नदिया जिला मुर्शिदाबाद राज्य पश्चिम बंगाल।

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 100/2025 धारा 318(4),338,336(3) बीएनएस धारा 3 पासपोर्ट अधिनियम व धारा 14 विदेशी अधिनियम थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वाली महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **09.02.2025** को **थाना सेक्टर-63** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गांजा तस्कर महिला अभियुक्ता कल्लो देवी पत्नी सविन्द्र यादव को एफएनजी रोड पर ग्रीन बेल्ट के गेट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद।

अभियुक्ता का विवरण--

1. कल्लो देवी पत्नी सविन्द्र यादव निवासिनी ग्राम हजरतपुर वाजिदपुर थाना सेक्टर-63 नोएडा (उम्र 35 वर्ष)

बरामदगी का विवरण--

1. 01 किलो 500 ग्राम गांजा

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 59/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा
2- मु0अ0सं0 261/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा